–::आदेश::–

सचिव, आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1427/XVIII-B-1/2021-15(13)2020 TC दिनांक 14 अक्टूबर 2021 एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या–33–04/2020 NDM–1 दिनांक 25 सितम्बर 2021 एवं भारत सरकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्यालय आदेश संख्या–C–18018/II/2021–DM सेल दिनांक 03 सितम्बर, 2021 के साथ संलग्न स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार एवं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के संयुक्त रूप से निर्गत दिशा–निर्देश एवं मा0 उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका संख्या सिविल 554/2021 और याचिका संख्या (C) 539 में पारित निर्णय दिनांक 30 जून, 2021 के क्रम में एन0डी0एम0ए0 द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा 12 (III) के अनुपालन में गठित दिशा निर्देश के दृष्टिगत कोविड–19 संक्रमण से मृत्यु की दशा में मृतक के विधिक वारिसजनों को आपदा मोचन निधि की संशोधित मदो एवं सहायता के मापदंडो के अंतर्गत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र दिनांक 25 सितम्बर 2021, के साथ प्राप्त संलग्नक में Grievance Redressal हेतु निम्नलिखित समिति का गठन किया जाता है:–

1–	अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), देहरादून।	अध्यक्ष
2–	मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून।	सदस्य
3–	सहायक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून।	सदस्य
4–	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, दून मेडिल कॉलेज देहरादून।	सदस्य
5–	उप मुख्य नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून/ऋषिकेश (नगर क्षेत्र)	सदस्य
6–	जिला पंचायत राज अधिकारी, देहरादून।	सदस्य
7–	जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी, देहरादून।	सदस्य

अतः गठित समिति को निर्देशित किया जाता है कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 25 सितम्बर 2021, के साथ प्राप्त संलग्नक में Grievance Redressal के अनुसार सम्बंधित उपजिलाधिकारी/तहसीलदार के माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रो को स्वीकृत/अस्वीकृत करने के उपरान्त आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें जिससे नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(डॉ0 आर. राजेश कुमार),
जिला मजिस्ट्रेट,/अध्यक्ष,
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, देहरादून।

कार्यालय जिलाधिकारी/अध्यक्ष आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण देहरादून

पत्रांक 425 /डी0डी0एम0ए0/2021–22 दिनांक 01/11/ ~~अक्टूबर~~ 2021

प्रतिलिपि:–

1–सचिव, आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

2–आयुक्त गढवाल मण्डल, पौडी, देहरादून।

3–महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।

4–समम्त उपजिलाधिकारी, देहरादून को इस निर्देश के साथ की उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगें।

5–समस्त समिति के सदस्य को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।

6–जिला सूचना अधिकारी देहरादून को निशुल्क प्रकाशन की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

7–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी देहरादून, जनपदीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

जिला मजिस्ट्रेट,/अध्यक्ष
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, देहरादून।